AADHAAR

NAI DUNIYA, Delhi, 12.7.2017

Page No. 1, Size:(12.66)cms X (9.26)cms.

ईपीएफओ ऑनलाइन आवेदन करने से मिलेगा फायदा

आधार-यूएएन है तो 5 दिन में मिलेगा पैसा

नई दिल्ली। एजेंसी

आपके ईपीएफओ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया अब आसान होगी। अगर आपने ईपीएफओ को आधार से लिंक कर लिया है, आपके पास यूएएन भी है तो ऑनलाइन अर्जी देने पर आपका क्लेम 5 दिन में मिल जाएगा। सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर वीपी जॉय ने सभी फील्ड ऑफिस को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन किए दावों को 5 दिन में निपटाया जाए। इससे लोग आधार नंबर को अकाउंट से जल्दी जोड़ेंगे। उनके मुताबिक सभी सदस्यों का आधार वैरिफाई किया जा रहा है ताकि इस सुविधा का लाभ सभी उठा सकें। पीएफ निकालने की सुविधा (फॉर्म-19), पेंशन (फॉर्म 10 सी) और टुकड़ों में पैसे निकालने की सुविधा (फॉर्म 31) अब आपकी कंपनी के दखल के बिना हो सकती है। क्लेम कंपोजिट क्लेम फॉर्म से ऑनलाइन जमा हो सकता है। आधार से ऑनलाइन क्लेम जमा करने के लिए ईपीएफओ ने हाल ही में अपने पोर्टल पर नई सुविधा लॉन्च की है।

इन शर्तों पर खरा उतरना होगा

■ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए ■ अकाउंट आधार से जुड़ा और वैरिफाई हो ■ अकाउंट में बैंक की पूरी जानकारी हो ■ क्लेम की अर्जी देने से पहले यूआईडी की वेबसाइट पर सदस्य को ईकेवाइसी करवाना होगा।

यह करना होगा

सदस्यों को यूनिफाइड पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। ये क्लेम फील्ड ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपकी कंपनी के बिना दखल के प्रक्रिया के लिए पहुंच जाएगा। ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने यूएएन को आधार से जोड़ लिया है। आपकी कंपनी को आधार नंबर को डिजीटल तरीके से वैरिफाई करना होगा। कंपनी मिलान यूआईडी के डेटा और दूसरी जानकारी से भी करेगी।